



जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऊना
जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, ऊना, हिमाचल प्रदेश

आदेश

संख्या 652-682 डी.आर.ओ/रिलीफ-डीडीएमए


दिनांक 10-01-2022

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऊना द्वारा जारी आदेश संख्या 1527-1547/डी.आर.ओ/रिलीफ दिनांक 22-03-2021 और आदेश संख्या 79-107/डी.आर.ओ/रिलीफ दिनांक 04-08-2021 की निरंतरता में, मैं, राघव शर्मा, भा.प्र.से., जिला दण्डाधिकारी, ऊना, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 और 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में यह आदेश करता हूँ कि:

निम्न अधिकारी सरकार द्वारा बनाए गए एस.ओ.पी (SOP) की पालना के लिए प्रतिदिन उनके नाम के आगे दर्शायी गई संस्था/ कार्यालय का निरीक्षण कर दैनिक रिपोर्ट जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) को व्हट्स ऐप नंबर 9459457476 और ईमेल ddmauna@gmail.com पर भेजेंगे।

क्र.सं.	कार्य क्षेत्र	निरीक्षण एवं अनुपालना अधिकारी /कार्यालय
1	बसों का निरीक्षण	Regional Transport Officer, Una.
2	होटल/ रेस्टोरेंट /ढाबा का निरीक्षण	District Food and Supply Controller, Una.
3	औद्योगिक इकाईओं का निरीक्षण	General Manager, District Industries Center, Una.
4	बस स्टैंड का निरीक्षण	Regional Manager HRTC, Una.
5	स्कूलों का निरीक्षण	Deputy Director Elementary/Higher Education, Una.
6	कॉलेजों/ हॉस्टलों का निरीक्षण	Deputy Director Education Inspection, Una.
7	सभी प्रकार के कार्यक्रमों /आयोजनों (शैक्षिक/ खेल/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ राजनीतिक सभाओं) एवं धार्मिक सथलों का निरीक्षण	All SDMs & Tehsildars, Naib Tehsildars and BDOs, Una as directed by respective SDMs.
8	सभी प्रकार की दुकानों /बाजारों और भट्टों एवं कंस्ट्रक्शन साइट का निरीक्षण	Labour Inspector/ Labour Officer, Una.
9	ITIs, अन्य सरकारी /निजी प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण	District Employment Officer, Una.

उपरोक्त अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि निरीक्षण दैनिक रूप से उनके एवं उनके निरीक्षकों द्वारा किए जाएँ तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि इन स्थानों पर मास्क, सामाजिक दूरी एवं अन्य कोविड-19 उचित व्यवहार सम्बंधित शर्तों के साथ-साथ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जारी आदेशों का सभी व्यक्तियों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। उप मंडलाधिकारी (ना.) उपमंडल स्तर पर सभी तरह के संस्थानों /स्थानों का दैनिक निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे।



(राघव शर्मा, भा.प्र.से)

अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं
जिला दण्डाधिकारी, ऊना
जिला ऊना, (हि.प्र.)।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को सूचनार्थ हेतु ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को सूचनार्थ हेतु ।
3. पुलिस अधीक्षक, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।
4. समस्त उप मंडलाधिकारी (ना.), जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।
6. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।
7. जिला उद्योग केंद्र, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।
8. समस्त तहसीलदार, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।
9. समस्त खंड विकास अधिकारी, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।
10. क्षेत्रीय प्रबंधक, एचआरटीसी, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।
11. जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।
12. उप निदेशक उच्च शिक्षा, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।
13. उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।
14. उप निदेशक शिक्षा निरीक्षण, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
15. श्रम निरीक्षक, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।
16. जिला रोजगार अधिकारी, ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु।
17. जिला जनसंपर्क अधिकारी, ऊना (हि.प्र.) को व्यापक प्रचार हेतु ।
18. समस्त विभाग प्रमुख, जिला ऊना (हि.प्र.) को अनुपालन हेतु ।



(राघव शर्मा, भा.प्र.से)

अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं
जिला दण्डाधिकारी, ऊना
जिला ऊना, (हि.प्र.)।